E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2020; 2(2): 94-98
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 22-05-2020
Accepted: 25-06-2020

सुमन कुमारी
शोधप्रज्ञा, विश्वविद्यालय
समाजशास्त्र विभाग, ल.ना.मि.वि.,
दरभंगा, बिहार, भारत।

Corresponding Author:
सुमन कुमारी
शोधप्रज्ञा, विश्वविद्यालय
समाजशास्त्र विभाग, ल.ना.मि.वि.,
दरभंगा, बिहार, भारत।

संयुक्त परिवार का स्वरूप एवं परिवर्तन की प्रवृति

सुमन कुमारी

सारांश
परिवार की संयुक्तता अर्थात् सह–निवासी व सह–भोजी नातेदारी समूह अदृश्य नहीं हो रही है और स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है जब कि भारत के लोगों के मस्तिष्क में संयुक्त परिवार की धारणा पूर्णतः विलुप्त हो जायेगी। केवल संयुक्तता की संबंध विच्छेदन प्रवृति में बदलाव आ रहा है। विस्तृत संयुक्त परिवार की अपेक्षा अब छोटे क्षेत्र में कार्य करने वाले दो–तीन पीढ़ियों तक का ही परिवार होगा। साथ ही अधिकांशः ऐसे एकाकी परिवार जिनमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चे अलग रहते हैं, प्रकार्य की दृष्टि से अपने प्राथमिक नातेदारों के साथ (जैसे भाई, पिता आदि) संयुक्त बने रहेंगे।

प्रस्तावना
संयुक्त परिवार शब्द में संयुक्तता की धारणा की विभिन्न विद्वानों ने विविध रूप में विवेचना की है। इरावर्ती कर्वे ने संयुक्तता के लिए सह–निवास को आवश्यक माना है तो बी.एन.कोहन, एस.सी.दुबे, हैरोल्ड गूल्ड, पालिन कोलेण्डा व आर.के.मुकर्जी सह–निवास और सह भोजन दोनों को संयुक्तता के आवश्यक तत्व मानते हैं। एफ.जी.बेली, टी.एन.मदन संयुक्त सम्पत्ति स्वामित्व को अधिक महत्त्व देते हैं, भले ही उनके निवास अलग–अलग हों तथा सम्पत्ति में सहस्वामित्व न हो। दायित्व को पूरा करने का अर्थ है अपने को परिवार का सदस्य मानना, वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देना तथा संयुक्त परिवर के नियमों को मानना।
इरावती कर्वे [1] के अनुसार प्राचीन भारत में परिवार निवास, सम्पत्ति और प्रकार्यों के आधार पर संयुक्त था। उन्होंने ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा है। कपाड़िया का मानना है कि हमारा आदि परिवार केवल संयुक्त या पितृसत्तात्मक ही नहीं था, इसके साथ–साथ हमारे परिवार व्यक्तिशरू भी होते थे।
व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति के बावजूद परिवार का संयुक्त तथा सगोत्रक स्वरूप बना हुआ है। कर्वे ने संयुक्त परिवार की पाँच विशेषताएँ बताई हैं– सह निवास, सह रसोई, सह सम्पत्ति, सह पूजा तथा कोई नातेदारी सम्बन्ध इस प्रकार कर्वे का संयुक्तता का आधार है– आकार, निवास, सम्पत्ति और आमदनी। इस आधार पर उन्होंने संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "एक ऐसा व्यक्तियों का समूह जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे पर पका भोजन करते हैं, साझी सम्पत्ति रखते हैं, परिवार की सहपूजा में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के नातेदारी सम्बन्धों से जुड़े होते हैं।'' हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार सहमति तथा संयुक्त सम्पत्ति शब्दों का अर्थ है कि सभी जीवित स्त्री व पुरुष सदस्य तीन पीढ़ियों तक पैतृक सम्पत्ति के हिस्सेदार होते हैं तथा सहभागियों की सहमति बिना सम्पत्ति न तो बेची जा सकती है और न ही किसी को दी जा सकती है। इस प्रकार, एक व्यक्ति को अपनी पत्नी, दो पुत्रों, दो पुत्रियों, दो पौत्रों तथा दो पौत्रियों के साथ अपनी सम्पत्ति को अपनी पत्नी व चार बच्चों में बराबर बाँटना होगा। पौत्र संतति अपने माता–पिता की सम्पत्ति में से ही हिस्सा लेंगे। पुत्र व पुत्री प्रत्येक की पूर्व मृत्यु पर उनके उत्तरदाधिकारी का एक भाग लेंगे।
आई.पी.देसाई [2] मानते हैं कि सहनिवास तथा सहरसोई को संयुक्त परिवार की परिसीमा के लिए आवश्यक समझना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से संयुक्त परिवार को सामाजिक सम्बन्धों को समुच्चय एवं प्रकार्यात्मक इकाई नहीं माना जायेगा। उनका कहना है कि एक घर के सदस्यों के बीच के आपसी सम्बन्धों तथा अन्य घरों के सदस्यों के साथ सम्बन्धों पर ही परिवार के प्रकार का निर्धारण किया जा सकता है। एकाकी परिवार को संयुक्त परिवार से अलग देखने के लिए भूमिका संबंधों के अन्तर को एवं विभिन्न रिश्तेदारों के बीच व्यवहार के मानदंडीय प्रतिमान को समझना पड़ेगा। उनकी मान्यता है कि जब दो एकाकी परिवार नातेदारी सम्बन्धों के होने पर भी अलग–अलग रहते हों, लेकिन एक ही व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हों तो वह परिवार संयुक्त परिवार होगा।
रामकृष्ण मुखर्जी [3] ने पाँच प्रकार के संबंध बताते हुए वैवाहिक, माता–पिता, पुत्र–पुत्री, भाई–भाई व

भाई–बहन को समरेखीय तथा विवाहमूलक सम्बन्ध कहा है कि संयुक्त परिवार वह है जिसके सदस्यों में उपरोक्त पहले तीन सम्बन्धों में से एक या अधिक और समरेखीय या विवाहमूलक या दोनों सम्बन्ध पाये जाते हैं।

संयुक्त परिवार की प्रवृति :

आई.पी.देसाई [4] ने 1956 और 1958 के बीच किए गए 423 परिवारों के सर्वेक्षण के आधार पर परिवार के दो भिन्न–भिन्न वर्गीकरण दिए हैं– (1) पीढ़ियों की गहराई को लेकर सदस्यों के बीच सम्बन्धों पर आधारित (2) अन्य परिवारों के सदस्यों के साथ सम्बन्धों के आधार पर। प्रथम आधार पर उन्होंने परिवार का वर्गीकरण चार प्रकार से किया है– एक पीढ़ी, दो पीढ़ियाँ, तीन पीढ़िया तथा चार या अधिक पीढ़ियों वाले परिवार। इनमें से प्रथम दो प्रकार के परिवारों को उन्होंने एकाकी परिवार कहा है और अन्तिम दो को संयुक्त परिवार।

भारतीय परिवार का संरचनात्मक आदर्श पश्चिमी परिवार के आदर्श से बिल्कुल भिन्न हैं। भारत में चूँकि आदि परिवार की संरचना वही थी जिसे आज संयुक्त परिवार कहा जाता है, अतः हमें इस परिवार को मूल परिवार की इकाई के रूप में समझना चाहिए और इसे परम्परागम परिवार की संज्ञा देनी चाहिए, अर्थात् वह परिवार जो अपनी पैतृक इकाई से पृथक हो गया है। आवासीय पृथक्करण के बाद भी यह अपने पैतृक इकाई पर निर्भर रह सकता है या फिर पूर्णरूपेण स्वतंत्र इकाई के रूप में भी कार्य कर सकता है। संयुक्त शब्द केवल तभी उपयुक्त होगा जब हम एकाकी परिवार को मूल परिवार इकाई मानें और इस प्रकार से दो एकाकी इकाईयों के समन्वय में एक नये परिवार की धारणा सामने आती है। लेकिन यह ज्ञात होने पर कि एकाकी परिवार हमारी मूल इकाई नहीं है, यह आवश्यक है कि परम्परागत परिवार को ही मूल परिवार इकाई मानें और अन्य स्वरूपों को इसी सन्दर्भ में समझें।

भारतीय समाज में सामान्य प्रथा यह है कि नवदम्पत्ति एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर घर में वैवाहिक जीवन प्रारंभ नहीं करते, बल्कि पति के माता–पिता के साथ प्रारंभ करते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी समाज में भले ही पुरुष व उसकी पत्नी दोनों में से किसी के भी माता–पिता के साथ एक ही छत के नीचे वैवाहिक जीवन प्रारम्भ करें, लेकिन इसको वे लोग आपातकालीन व्यवस्था मानकर ही स्वीकार करते हैं और इस व्यवस्था को वे अस्थाई ही मानते हैं। जैसे ही सम्भव होता है वे अपना स्वतंत्र घर स्थापित कर लेते हैं। यदि किसी कारणवश वे इसमें असमर्थ रहते हैं और यदि आने वाले महीनों में वैवाहिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो सर्वप्रथम वे अपने माता–पिता के घर से पृथक हो जायेंगे। संरचना के उपरोक्त आदर्श के आधार के कारण परिवार के वर्गीकरण का हमारा आधार न तो घर के सदस्यों की संख्या ही होना चाहिए और न ही व्यक्तिगत सदस्यों की क्रियाओं का अभिमुखीकरण बल्कि निवास, निर्भरता और नातेदारी सम्बन्धों की विस्तृत को एक साथ मानकर ही परिवारों का वर्गीकरण करना चाहिए। इस आधार पर हम परिवारों को दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं रू विस्तृत परिक्षेत्र का नातेदारी परिवार, मध्यम परिक्षेत्र का नातेदारी परिवार, तथा लघु परिक्षेत्र का नातेदारी परिवार। द्वितीय समूह को आश्रित परिवार और अनाश्रित परिवार में विभाजित किया जा सकता है।

संयुक्त परिवार की विशेषताएँ

संयुक्त परिवार के कुछ प्रमुख लक्ष्ण निम्न प्रकार हैं–

(1) सत्तात्मक संरचना : सत्तात्मक का अर्थ है कि निर्णय तथा निश्चय करने की शक्ति एक व्यक्ति में होती है जिसकी आज्ञा का पालन बिना चुनौती के होना चाहिए। प्रजातंत्रीय परिवार में सत्ता एक या एक से अधिक लोगों में निहित होती है जिसका आधार दक्षता और योग्यता होता है, सत्तात्मक परिवार में परम्परा से सत्ता आयु एवं वरिष्ठता के आधार पर सबसे बड़े पुरुष के पास ही होती है। परिवार का मुखिया अन्य सदस्यों को थोड़ी ही स्वतंत्रता प्रदान करता है और निर्णय करने में वह भले ही अन्य सदस्यों की राय जाने या न जाने, उसका निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होता है। लेकिन जनतंत्रीय परिवार में मुखिया का कर्त्तव्य होता है कि वह अन्य सदस्यों की सलाह ले और कोई भी निर्णय करने से पूर्व उनकी राय को पूर्ण महत्त्व प्रदान करे।

(2) पारिवारिक संगठन : इसका अर्थ है कि व्यक्ति के हितों का पूरे परिवार के हितों के सामने कम महत्त्व होता है, अर्थात् परिवार का लक्ष्य ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, जैसे यदि बच्चा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा जारी रखना चाहता है परन्तु यदि उसे परिवार के व्यापार को देखने के लिए दूकान पर बैठने को कहा जाया तो उसे परिवार के हितों के आगे अपने हितों की अन्देखी करनी होगी।

(3) आयु और संबंधों के आधार पर सदस्यों की प्रस्थिति का निर्धारण : परिवार के सदस्यों की प्रस्थिति का निर्धारण उनकी आयु और संबंधों द्वारा निश्चित होता है। पति का पद पत्नी से ऊँचा होता है। दो पीढ़ियों में ऊची पीढ़ी वाले व्यक्ति की प्रस्थिति से अधिक ऊँची होती है। लेकिन उसी पीढ़ी में बड़ी आयु वाले व्यक्ति की प्रस्थिति कम आयु वाले व्यक्ति की प्रस्थिति से ऊँची होती है।

(4) सन्तान तथा भ्रातृक संबंधों की दाम्पत्य संबंधों पर वरीयता : रक्त सम्बन्धों को वैवाहिक सम्बन्धों की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। दूसरे शब्दों में पति–पत्नी के सम्बन्ध, पिता–पुत्र या भाई–भाई सम्बन्धों की अपेक्षा निम्न माने जाते हैं।

(5) संयुक्त दायित्वों के आदर्श पर परिवार का कार्य संचालन : परिवार संयुक्त परिवार के उत्तरदायित्वों के आदर्शों के आधार पर कार्य करता है। यदि पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए ऋण लेता है तो उसके पुत्रों का भी यह दायित्व हो जाता है कि वह उसकी वापसी का प्रयत्न करें।

(6) सभी सदस्यों के प्रति समान बर्ताव : परिवार के सभी सदस्यों पर समान ध्यान दिया जाता है। यदि एक भाई के पुत्र को 4000 रूपये मासिक आय के साथ खर्चीला कन्वेट स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है तो दूसरे भाईयों जिसकी मासिक आय कम है के पुत्रों को इन्हीं सुविधाओं के साथ अच्छे स्कूल में पढ़ाया जायेगा।

(7) वरिष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर सत्ता–निर्धारण : परिवार में स्त्री–पुरुषों, पुरुषों–पुरुषों, स्त्रियों–स्त्रियों के बीच के सम्बन्धों का निर्धारण वरीयता क्रम के अनुसार निर्धारित होता है। यद्यपि सबसे बड़ी आयु का पुरुष या स्त्री किसी दूसरे को सत्ता सौंप सकते हैं, लेकिन यह वरीयता के सिद्धान्त पर ही होग जिससे व्यक्तित्वाद की भावना विकसित न हो सके।

परिवर्तन सम्बन्धी आनुभविक अध्ययन

इस सन्दर्भ में विभिन्न आनुभविक अध्ययन के आधार पर स्पष्ट होता है कि पुरातन शैली के परिवारों की संख्या सामान्य अनुपात से कहीं कम है। जनणना के आधार पर पाया गया कि छोटे घरों का एक बड़ा अनुपात मूल रूप से देश की परम्पराओं के अनुसार अब परिवार संयुक्त नहीं है और संयुक्त परिवार से टूटने और अलग घर स्थापित करने की प्रवृत्ति दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर ज्ञात होता है कि

पुरातन शैली का संयुक्त परिवार अब शायद ही कहीं और कभी ही मिले तथा संयुक्तता की प्रकृति अब ''सह–निवास'' से मात्र दायित्व निभाने में परिवर्तित हो रही है।

पारिवारिक संरचना में परिवर्तन :

पारिवारिक संरचना में आज काफी परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। भारत में परिवार की संरचना में परिवर्तनों के विश्लेषण में किए गए अध्ययनों में से कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों जैसे आई.पी.देसाई, के.एम.कपाड़िया, एलिन रास, एम. एस.गोरे, ए.एम.शाह और सच्चिदानन्द आदि के सर्वेक्षणों को स्पष्ट किया जा रहा है।

देसाई [5] ने नगरीय परिवारों में परिवर्तन के विषय में तीन प्रकार के निष्कर्ष दिए– (1) एकाकिता बढ़ रही है और संयुक्तता घट रही है तथा अवासीय एवं संगठनात्मक प्रकार के परिवारों में पति–पत्नी और बच्चों के समूह की प्रधानता है। (2) व्यक्तिवाद की भावना नहीं पनप रही है क्योंकि जो परिवार आवासीय व संगठनात्मक रूप से एकाकी हैं, उनमें से 50 प्रतिशत से कुछ कम परिवार उसी नगर में रहने वाले या नगर से बाहर रहने वाले परिवारों से सक्रिय रूप से संयुक्त हैं। (3) संयुक्तता के घेरे में नातेदारी सम्बन्धों की परिधि छोटी होती जा रही है। संयुक्त परिवारों में माता–पिता व पुत्रों, भाई–भाई, व चाचा–भतीजों के सम्बन्धों की प्रधानता रहती है। दूसरे शब्दों में समरेखीय विस्तार सम्बन्ध पिता, पुत्र और पौत्रों के बीच पाया जाता है तथा भिन्न शाखाई सम्बन्ध व्यक्ति, उसके चाचा और उसके अपने भाइयों के बीच ही पाए जाते हैं।

कपाड़िया [6] ने भी 1955–56 में अपने किए गए अध्ययन में ग्रामीण व नगरीय परिवारों में परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। उन्होंने गुजरात में सूरत जिले के एक नगर नवसारी और इस नगर के आस–पास के 15 ग्रामों का अध्ययन किया था। कुल मिलकार उन्होंने 1345 परिवारों का अध्ययन किया था, जिनमें से 18 प्रतिशत नवसारी नगर के और 82 प्रतिशत उसके आस–पास के गाँवों के थे।

नगर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों की संरचना का विश्लेषण करते हुए कपाड़िया ने पाया कि 49.1 प्रतिशत परिवार एकाकी थे और 50.9 प्रतिशत संयुक्त थे। इस प्रकार कपाड़िया ने परिवार के स्वरूप के विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :

(1) ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवारों का अनुपात एकाकी परिवारों के समान ही है। दूसरे जब परिवार की प्रकृति जाति के सन्दर्भ में देखते हैं तो पता चलता है कि उच्च जातियों में संयुक्त परिवारों की प्रधानता है। संयुक्त और एकाकी परिवार का अनुपात 5:3 है। निम्न जातियों में एकाकी परिवार अधिक हैं। इनमें संयुक्त और एकाकी परिवारों का लगभग 9:11 का अनुपात है।

(2) नगरीय समुदाय में एकाकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार अधिक हैं। अनुपात में एक संयुक्त परिवार के पीछे 0.77 एकाकी परिवार आते हैं। यह तथ्य उस पूर्व धारणा के बिल्कुल विपरीत है जिसमें कहा जाता है कि बड़े नगरों में एकाकी परिवारों में अधिक लोग रहते हैं तथा परिवार की संरचना के विघटन में शहरों का अधिक प्रभाव होता है।

(3) समाघात गाँवों में परिवार का स्वरूप ग्रामीण परिवार के स्वरूप से मिलता जुलता है तथा नगरीय परिवार के स्वरूप से उसका कोई मेल नहीं है। दूसरे जहाँ तक जाति भिन्नता को दर्शाने वाले स्वरूप का सम्बन्ध है, अन्य ग्रामों के विपरीत निकटस्थ व समाघात ग्रामों में व्यावसायिक जातियों में एकाकी परिवारों की ओर धीमी वृद्धि मिलती है और खेतिहर जातियाँ एकाकी परिवार में धीमी कमी दर्शाते हैं। यह बताना कठिन है कि यह नगर के प्रभाव के कारण है या कि जाति विविधिता की अभिव्यक्ति मात्र ळें

उपर्युक्त आंकड़ों के प्रकाश में कपाड़िया ने दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले– (1) संयुक्त परिवार का ढाँचा एकाकी परिवार की ओर नहीं झुक रहा है (2) ग्रामीण व नगरीय परिवारों के स्वरूप में अन्तर जाति प्रथा में आर्थिक कारकों द्वारा हो रहे परिवर्तन के परिणामस्वरूप आया है।

एलिन रास [7] ने एक नगरीय क्षेत्र में उच्च व मध्यम वर्गीय परिवारों में परिवर्तन के स्वरूप का अध्ययन किया था। उन्होंने बंगलौर में 1957 में 157 परिवारों का अध्ययन किया था।

अध्ययनों के आधार पर रास ने निष्कर्ष निकाला कि– (1) भारत में आज परिवारों की प्रवृत्ति परम्परागत संयुक्त परिवार से विखण्डन व एकाकी परिवार की ओर है; (2) लघु संयुक्त परिवार भारत में अब पारिवारिक जीवन का एक विशिष्ट मानक है; (3) अधिकतर लोग अपने जीवन का कुछ समय एकाकी परिवार में बिताते हैं; (4) अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के परिवारों में रहना इतना अधिक हो गया है कि नगर निवासियों के सामान्य क्रम के रूप में परिवार के प्रकारों के एक चक्र की चर्चा की जा सकती है; (5) पिता और पितामह की अपेक्षा वर्तमान पीढ़ी के लिए दर के रिश्तेदार कम महत्त्वपूर्ण होते हैं। वे उनसे मिलते भी कम है, उनके लिए उनमें स्नेह भी कम है, और उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व भी कम समझते हैं; (6) नगर में रहने वाला पुत्र अपने सभी संबंधियों से काफी दूर हो गया है। अतः उन पर संयुक्त परिवार की तुलना में नियंत्रण भी कम रहता है।

ए.एम.शाह [8] ने 1955–1958 की अवधि में गुजरात में एक गाँव राधवानाज में 283 घरों का अध्ययन किया। यह गाँव अहमदाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रचना की दृष्टि से शाह ने परिवारों को दो समूहों में बाँटा : सरल व जटिल। सरल परिवार उसे माना गया जिसमें पितृ–परिवार सम्पूर्ण या उसका कुछ अंश सम्मिलित हो, जबकि जटिल परिवार वह हुआ जिसमें दो या दो से अधिक पितृ परिवार या उनके अंश सम्मिलित हों। पितृ परिवार उसे कहा गया जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे हो। शाह की मान्यता है कि सरल परिवार की रचना छः सम्भावित रूप से हो सकते हैं– (1) व्यक्ति और उसकी पत्नी (2) केवल पति या केवल पत्नी (3) एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे (4) अविवाहित भाई और बहनें (5) पिता व उसके अविवाहित बच्चे (6) माता और उसके अविवाहित बच्चे। इसी प्रकार से जटिल परिवार के तीन सम्भावित रूप हो सकते हैं– (1) दो या अधिक पितृ परिवार (2) एक पितृ परिवार तथा दूसरे पितृ परिवार के कुछ हिस्से (3) एक पितृ परिवार के अंश तथा दूसरे पितृ परिवार के अंश।

उक्त वर्गीकरण के आधार पर शाह ने बताया कि 68.0 प्रतिशत परिवार उस गाँव में सरल थे व 32.0 प्रतिशत जटिल। चूँकि शाह का सरल परिवार एकाकी परिवार का तथा जटिल परिवार संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, यह माना जा सकता है कि शाह का अध्ययन भी ग्रामीण भारत में संयुक्त प्रणाली का टूटना दर्शाता है।

पारिवारिक संरचना में परिवर्तन के कारक :

परिवार की संरचना में परिवर्तन किसी प्रभावों के एक समुच्चय से नहीं आया है, और न यह सम्भव है कि इन कारकों में से किसी एक को प्राथमिकता दी जा सके। इस परिवर्तित होते हुए परिवार के लिए कई कारक उत्तरदायी है। औद्योगीकरण और उसके सार्वभौमिक मापदण्ड जो निरन्तर विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं, व्यक्तिवाद के आदर्श, समानता और आजादी तथा वैकल्पिक जीवन पद्धति की सम्भावना जैसे कारणों के सम्मिलन से ही संक्रमणकालीन परिवार उदय हुआ है। मिल्टर सिंगर ने परिवार में परिवर्तन के लिए चार कारकों को उत्तरदायी माना है– आवासीय गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा और द्रव्यीकरण।

समाज के विभिन्न समाजों की संरचना का विश्लेषण यह बताता हैं की सामाजिक संरचना का निर्माण आधारित कारकों पर निर्मित होती है। इनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण कारक –आयु, यौन भेद, संबद्ध, स्थान तथा अन्य समितियाँ है। समाज की जड़े अतीत में

होती है। वह वर्तमान में जीता है और भविष्य उसके लिए चिंता और प्रावधान का विषय होता है। दुनिया में शायद ही ऐसा समाज हो जो पूरी तरह से अपनी परंपराओं से कटा हो। परंपरायें तब तेजी से विघटित होती हैं जब समाज की जातीय अस्मिता का क्षय होने लगता है और धीरे–धीरे इतनी बिगड़ती है कि समाज अपने अस्तित्व की आहट सुनने में असमर्थ हो जाता है लेकिन इतना तो तय है कि समाज जड़ नहीं होता है। गत्यात्मक संस्कृति कि प्रकृति में अंतर्निहित होती है। परिवर्तन की चुनौतियों से साक्षात्कार कर सकने में असहज सामाजिक व्याधि बन जाती है। अनुकूलन और नवाचार की क्षमता के अभाव में संस्कृतियों की क्षीण हो जाती है। उसके अस्तित्व और अस्मिता दोनों पर ग्रहण लग जाता है। इस तरह परिवर्तन की बात मंदगति या उसका अभाव अनेक समस्याओं को जन्म देता है जिसका प्रभाव सामाजिक संरचना पर भी परिलक्षित होता है।

वर्तमान शोध हेतु चयनित बुजुर्ग व्यक्ति से साक्षात्कार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है–

तालिका 1: आपके परिवार के युवा पीढ़ी शिक्षा ग्रहण में किसका अनुसरण करते हैं?

क्र.सं.	शैक्षणिक स्तर	अभिमत					कुल
		दादा–दादी	माता–पिता	भाई–बहन	स्वयं	अन्य	
		संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	
1.	निरक्षर	00 / 00.00	04 / 02.00	12 / 06.00	08 / 04.00	04 / 02.00	28 (14.00)
2.	साक्षर	00 / 00.00	03 / 01.50	14 / 07.00	11 / 05.50	02 / 01.00	30 (15.00)
3.	प्राथमिक / मध्य	00 / 00.00	24 / 12.00	22 / 11.00	06 / 03.00	05 / 02.50	57 (28.50)
4.	माध्यमिक / अन्तरस्नातक	00 / 00.00	16 / 08.00	20 / 10.00	02 / 01.00	00 / 00.00	38 (19.00)
5.	स्नातक / स्नातकोत्तर	10 / 05.00	08 / 04.00	12 / 06.00	09 / 04.50	08 / 04.00	47 (23.50)
कुल		10 / 05.00	55 / 27.50	80 / 40.00	36 / 18.00	19 / 09.50	200 (100.00)

क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान उत्तरदाताओं से मिली जानकारी के अनुसार 05 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके परिवार के युवा पीढ़ी शिक्षा ग्रहण दादा–दादी के अनुसार करते हैं, 27.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके परिवार के युवा पीढ़ी शिक्षा ग्रहण माता–पिता के अनुसार करते हैं, 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके परिवार के युवा पीढ़ी शिक्षा ग्रहण अपने भाई–बहन के अनुसार करते हैं, 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके परिवार के युवा पीढ़ी शिक्षा ग्रहण अपने अनुसार करते हैं, जबकि 05 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके परिवार के युवा पीढ़ी शिक्षा ग्रहण अन्य लोग यथा चाचा–चाची या परिवार के अन्य संबंधियों के अनुसार करते हैं।

तालिका 2: रोजगार ग्रहण में किसके विचार महत्त्वपूर्ण होते हैं?

क्र.सं.	शैक्षणिक स्तर	अभिमत					कुल
		दादा–दादी	माता–पिता	भाई–बहन	स्वयं	अन्य	
		संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	
1.	निरक्षर	00 / 00.00	12 / 06.00	08 / 04.00	08 / 04.00	00 / 00.00	28 (14.00)
2.	साक्षर	00 / 00.00	08 / 04.00	14 / 07.00	06 / 03.00	02 / 01.00	30 (15.00)
3.	प्राथमिक / मध्य	00 / 00.00	11 / 05.50	12 / 06.00	28 / 14.00	06 / 03.00	57 (28.50)
4.	माध्यमिक / अन्तरस्नातक	00 / 00.00	06 / 03.00	10 / 05.00	22 / 11.00	00 / 00.00	38 (19.00)
5.	स्नातक / स्नातकोत्तर	07 / 03.50	09 / 04.50	11 / 05.50	20 / 10.00	00 / 00.00	47 (23.50)
कुल		07 / 03.50	46 / 23.00	55 / 27.50	84 / 42.00	08 / 04.00	200 (100.00)

साक्षात्कार के क्रम में मिली जानकारी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 03.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार रोजगार ग्रहण में दादा–दादी के विचार महत्त्वपूर्ण होते हैं, 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं के रोजगार ग्रहण में माता–पिता के विचार महत्त्वपूर्ण होते हैं, 27. 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार रोजगार ग्रहण करने में भाई–बहन के विचार महत्त्वपूर्ण होते हैं, 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार रोजगार ग्रहण करने में स्वयं के विचार महत्त्वपूर्ण होते हैं, जबकि 04 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार रोजगार ग्रहण करने में अन्य अर्थात् रिस्तेदार, आस–पड़ोस के लोगों के विचार महत्त्वपूर्ण होते हैं।

तालिका 3: शादी–विवाह में किसका निर्णय महत्त्वपूर्ण होता है?

क्र.सं.	शैक्षणिक स्तर	अभिमत					कुल
		दादा–दादी	माता–पिता	भाई–बहन	स्वयं	अन्य	
		संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	संख्या / प्रतिशत	
1.	निरक्षर	00 / 00.00	08 / 04.00	10 / 05.00	08 / 04.00	02 / 01.00	28 (14.00)
2.	साक्षर	00 / 00.00	06 / 03.00	18 / 09.00	06 / 03.00	00 / 00.00	30 (15.00)
3.	प्राथमिक / मध्य	06 / 03.00	11 / 05.50	22 / 11.00	12 / 06.00	06 / 03.00	57 (28.50)
4.	माध्यमिक / अन्तरस्नातक	02 / 01.00	10 / 05.00	08 / 04.00	18 / 09.00	00 / 00.00	38 (19.00)
5.	स्नातक / स्नातकोत्तर	06 / 03.00	09 / 04.50	12 / 06.00	20 / 10.00	00 / 00.00	47 (23.50)
कुल		14 / 07.00	44 / 22.00	70 / 35.00	64 / 32.00	08 / 04.00	200 (100.00)

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 07 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार शादी–विवाह में दादा–दादी का निर्णय महत्त्वपूर्ण होता है, 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार शादी–विवाह में माता–पिता का निर्णय महत्त्वपूर्ण होता है, 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार शादी–विवाह में भाई–बहन का निर्णय महत्त्वपूर्ण होता है, 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार

शादी–विवाह में स्वयं का निर्णय महत्त्वपूर्ण होता है, जबकि 04 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार शादी–विवाह में अन्य रिश्तेदारों का निर्णय महत्त्वपूर्ण होता है।

तालिका 4: क्या व्यक्तिवादी सोच अन्तर पीढ़ी संघर्ष का प्रमुख कारण है?

क्र.सं.	शैक्षणिक स्तर	अभिमत				कुल
		हाँ		नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	निरक्षर	22	11.00	06	03.00	28 (14.00)
2.	साक्षर	27	13.50	03	01.50	30 (15.00)
3.	प्राथमिक / मध्य	50	25.00	07	03.50	57 (28.50)
4.	माध्यमिक / अन्तरस्नातक	29	14.50	09	04.50	38 (19.00)
5.	स्नातक / स्नातकोत्तर	40	20.00	07	03.50	47 (23.50)
कुल		168	84.00	32	16.00	200 (100.00)

क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान मिली जानकारी से स्पष्ट होता है कि 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार व्यक्तिवादी सोच अन्तर पीढ़ी संघर्ष का प्रमुख कारण है, जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबंध में सार्थक उत्तर नहीं दिया। अधिकांश उत्तरदाताओं का सकारात्मक जबाव देखते हुए स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में अन्तरपीढी संघर्ष का प्रमुख कारण व्यक्तिवादी सोच है।

तलिका 5: संयुक्त परिवार का विघटन अंतर पीढ़ी संघर्ष हेतु उत्तरदायी है?

क्र.सं.	शैक्षणिक स्तर	अभिमत				कुल
		हाँ		नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	निरक्षर	14	07.00	14	07.00	28 (14.00)
2.	साक्षर	15	07.50	15	07.50	30 (15.00)
3.	प्राथमिक / मध्य	29	14.50	28	14.00	57 (28.50)
4.	माध्यमिक / अन्तरस्नातक	19	09.50	19	09.50	38 (19.00)
5.	स्नातक / स्नातकोत्तर	25	12.50	22	11.00	47 (23.50)
कुल		**102**	**51.00**	**98**	**49.00**	**200 (100.00)**

उपर्यक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 51 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वर्तमान समय में अंतर पीढ़ी संघर्ष के लिए संयुक्त परिवार का विघटन जिम्मेवार है। क्योंकि एकल परिवार में बड़े–बुजर्ग का सान्निध्य प्राप्त नहीं हो पाता है जिससे बच्चों में व्यक्तिवादी सोच की भावना जागृत हो जाती है, जो कही न कहीं अंतर पीढ़ी संघर्ष के लिए जिम्मेवार है, जबकि 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया।

तालिका 6: क्या आधुनिक दौर में परिवारों में पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते प्रचलन से युवा भ्रमित हो रहे हैं?

क्र.सं.	शैक्षणिक स्तर	अभिमत				कुल
		हाँ		नहीं		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	निरक्षर	22	11.00	06	03.00	28 (14.00)
2.	साक्षर	28	14.00	02	01.00	30 (15.00)
3.	प्राथमिक / मध्य	52	26.00	05	02.50	57 (28.50)
4.	माध्यमिक / अन्तरस्नातक	32	16.00	06	03.00	38 (19.00)
5.	स्नातक / स्नातकोत्तर	38	19.00	09	04.50	47 (23.50)
कुल		172	86.00	28	14.00	200 (100.00)

क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 86 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत हैं कि आधुनिक समय में परिवार में बढ़ते पाश्चात्य सभ्यता का प्रचलन युवा वर्ग को अपने राहों से भटका रहा है, जबकि 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जबाव नहीं दिया।

निष्कर्ष :

संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में परिवार को एक विशेष समय पर अन्तः सम्बन्धित प्रस्थितियों तथा भूमिकाओं की संरचना के सम्बन्ध में तथा इसका अपने सदस्यों के प्रति सुगठित अधिकारों व दायित्वों के अन्तःसम्बन्धों की संरचना के रूप में देखा जाता है। परिवार में व्यक्तिगत तथा वैवाहिक सामन्जस्य की प्रक्रिया की भी व्याख्या करते हैं, अर्थात् परिवार में उत्पन्न तनाव की स्थितियों से मुक्त होने के तरीकों पर भी विचार करते हैं। प्रकार्यवादी उपागम परिवार के कार्यों की सार्वभौमिकता की कल्पना करता है तथा कुछ विशिष्ट कार्यों से घिरी भूमिकाओं पर भी विचार करता है। यह उपागम परिवार की विभिन्न भूमिकाओं के मध्य सम्बन्ध भी समझाता है और परिवार के कार्यों और भूमिकाओं के परिवर्तन मुख्यतः समाज में तथा सामाजिक मानदण्डों व मूल्यों के परिवर्तन के कारण मानता है।

संदर्भ :

1. इरावती कर्वे (1953) : किनसिप ऑरगेनाइजेशन इन इंडिया, डिकॉन कॉलेज मोनोग्राम, पूना, पृ.– 49
2. आई.पी.देसाई (1956) : द ज्वाइन्ट फैमिली इन इंडिया रू एन एनालाइसिस, सोशल बुलेटिन, भोल्यूम 5, नं0 2, सितम्बर, पृ.– 144–156
3. रामकृष्ण मुखर्जी, डी. नारायण (अनु०) (1975) : एक्प्लोरेसन इन द फैमिली एण्ड अदर ऐसेज, थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई, पृ.– 1–64 8
4. आई.पी.देसाई (1964) : सम एसपेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, पृ.– 32
5. आई.पी.देसाई (1956) : द ज्वाइन्ट फैमिली इन इंडिया : एन एनालाइसिस, सोशल बुलेटिन, भोल्यूम 5, नं0 2, सितम्बर, पृ. – 162
6. के.एम.कपाड़िया (1966) : मैरेज एण्ड फैमिली इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिर्भसिर्टी प्रेस, बम्बई, पृ.– 38
7. ऐलिन रास (1961) : द हिन्दू फैमिली इन इट्स अरवन सेटिंग, ऑक्सफोर्ड यूनिर्भसिर्टी प्रेस, टोरॉन्टो, पृ.– 62
8. ए.एम.शाह (1964) : सोशल चेन्ज एण्ड कॉलेज स्टूडेन्ट ऑफ गुजरात, एम.एस. यूनर्भिसिटी ऑफ बड़ोदा, बड़ेदा, पृ.– 58